...लय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2021/534

प्रकरण संख्या 79/21

अनवान

1. बाबरू उर्फ बाबरीया पुत्र श्री अमरा जी डांगी निवासी वाणिया तलाई तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भीण्डर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: :निर्णय: :— दिनांक :—19.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुण्डई पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में प्रार्थी के नाम आराजी नम्बर 1332 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 126/2 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा स्थित होकर प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों के नाम संयुक्त खाते में दर्ज होकर उपयोग उपभोग में चली आ रही है। यह कि प्रार्थी के पिता अमरा का निधन होने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण 206 भरा जिसमें प्रार्थी की बगैर जानकारी बिना सुने अपनी मन मरजी से भगवान दर्ज कर नामान्तरण स्वीकार किया, उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया, जबकि प्रार्थी का नाम जन्म से ही बाबरू उर्फ बाबरीया है, समस्त सरकारी दस्तावेजात में बाबरू नाम दर्ज है। यह कि इसी तरह मौजा वाणियातलाई, पटवार हल्का वाणियातलाई तहसील भीण्डर में आराजी नम्बर 386 रकवा 1 बीघा 05 बिस्वा स्थित होकर प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारों के नाम सयुक्त रूप से उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं। उक्त प्रार्थी के पिता अमरा के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा विरासत का म्युटेशन सही भरा हैं।

2. यह कि कलन नम्बर 1 में वर्णित आरा[illegible] में प्रार्थी का नाम भगवान गलत दर्ज कर दिया है, जिसमें मात्र लिपिकीय त्रुटी है। भगवान पिता अमरा न[illegible]का [illegible] वाणियातलाई में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है मुझ प्रार्थी का नाम ग्राम कुण्डई में गलती से भगव[illegible]ता अमरा दर्ज कर दिया है, जबकी वाणियातलाई में प्रार्थी का नाम सही अंकित [illegible] निवेदन है कि प्रार्थी [illegible]ना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर एक में वर्णित आराजीयात में [illegible]का नाम भगवान के बजाय बाबरू उर्फ बाबरीया दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराया जावें।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षी को नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कुण्डई के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:12 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 98 में आराजी नं. 1990 से 1996, 2095 कुल रकबा 1.76 हैक्टेयर में भगवान पुत्र अमरा 3/20 एवं खाता संख्या 99 में आराजी नं. 1938, 1945, 1946, 1947, 1955 कुल किता 7 रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि भगवान पुत्र अमरा खाता संख्या 100 में भगवान पुत्र अमरा 1/12 डागी सा. भूणातालाब खातेदार दर्ज रिकार्ड संख्या 206 क अनुसार विरासत में अमरा के बजाय भगवान पिता अमरा दर्ज की स्वीकृति पंचायत कुण्डई द्वारा की गई है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम कुण्डई की आराजी नम्बर 1332 व आराजी नम्बर 126/2 में प्रार्थी का नाम भगवान पिता अमरा गलत अंकन होने से सही अंकन बाबरू उर्फ बाबरिया किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त आराजीयात भगवान पुत्र अमरा के नाम दर्ज होना बताया व उक्त नामान्तरण संख्या 206 विरासत से ग्राम पंचायत कुण्डई द्वारा स्वीकृत होना बताया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी का नाम बाबरू उर्फ बाबरिया के स्थान पर भगवान होना लिपिकीय त्रुटि होना बताया है जबकि प्रार्थी द्वारा अस संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे की यह साबित हो कि भगवान पुत्र अमरा व बाबरू उर्फ बाबरिया पुत्र अमरा एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व पर्चा मौका में ऐसा कोई कथन नहीं कहा गया जिससे की लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी का नाम भगवान के बजाय बाबरू उर्फ बाबरिया अंकित हो गया हो। प्रार्थी के नाम का नामान्तरण ग्राम पंचायत कुण्डई द्वारा पारित किया गया है। जिसमें अमरा की फौत हो जाने से विरासत से उक्त आराजीयात में खातेदार अमरा के बजाय भगवान के नाम स्वीकृति हुई है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थीगण यह सावित करने में असफल रहें है कि मात्र लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी का नाम बाबरू उर्फ बाबरिया के स्थान पर भगवान दर्ज हुआ है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:12 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 19.09.2022 को सुनाया गया।

19/9/22